सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 494/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 11 नवम्बर 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-देवगाँव

दो अवैध तमंचा व कारतूस तथा चोरी की दो मोटरसाइकिल सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी तथा अवैध शस्त्र/अवैध शराब की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभिययान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में दिनांक 10.11.2020 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह के संदिग्ध व्यक्ति/संदिग्ध वाहन चेकिंग करते हुए मसीरपुर तिराहे पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम खनियरा मे भट्टा जो काफी दिनो से बन्द पडा है। वहा पर दो व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिलो को बेचने के फिराक मे किसी का इंतजार कर रहे है। उनके पास अवैध असलहे भी है। इस सूचना पर पुलिस बल तत्काल प्रस्थान कर ग्राम खनियरा के बार्डर पर पहुचा तो वहा पर पहले से मौजूद चौकी प्रभारी पल्हना उ0नि0 की त्रिभुवन सिंह मय हमराह मिले । जिनको सूचना से अवगत कराकर मुखबीर द्वारा बताये हुए स्थान अनिल सिंह के ईट भट्ठा के पास पहुचा तो दो व्यक्ति दो मोटरसाइकिल के साथ खडे दिखाई दिये । जब हम पुलिस बल खडे हुए व्यक्तियो की तरफ बढे तो दोनो व्यक्ति अचानक पुलिस बल को देखकर भागना चाहे कि पुलिस बल द्वारा दौडाकर दोनो व्यक्तियो को दो मोटरसाइकिलो के साथ पकड़ लिया गया। पकडे गये व्यक्तियो से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम कमलेश चौहान पुत्र श्री प्रकाश चौहान नि0 ग्राम विशुनपुर धीरधार थाना तरवाँ आजमगढ़ दूसरे ने अपना नाम नवीन चौहान पुत्र फूलचन्द चौहान नि0बिशुनपुर धीरधार थाना तरवाँ आजमगढ़ बताया । मौके पर तलाशी से अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अदद तमन्चा , 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर , व दो अदद मोबाइल, दो अदद मोटरसाईकिल 1. सुपर स्पलेण्डर नं0- UP50AH9113 2. सुपर स्पलेण्डर नं0 - UP65CA0158 बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर क्रमशः 1. मु0अ0सं0- 264/2020 धारा 41/411/413 भादवि 2.मु0अ0सं0-265/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम 3. मु0अ0सं0-266/2020 धारा 3/25 आयुध अधि नियम पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पुछताछ करने यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त दोनो अभियुक्त गाड़ी चुराने का कार्य करते है तथा चुराये हुए गाड़ियो को बेचने से जो पैसे प्राप्त होते है उससे अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण करते है।कडाई से पुछताछ में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि गाडी नं0 UP50AH9113 को अभियुक्त कमलेश चौहान द्वारा तरवां थाना क्षेत्र से चोरी किया है तथा मो0सा0 नं0 UP65CA 0158 को दोनो अभियुक्तगण मिलकर बनारस से चोरी करके वेचने के लिए आये थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1-कमलेश चौहान पुत्र श्री प्रकाश चौहान नि0 ग्राम विशुनपुर धीरधार थाना तरवाँ आजमगढ़।

2-नवीन चौहान पुत्र फूलचन्द चौहान नि0बिशुनपुर धीरधार थाना तरवाँ आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0- 264/2020 धारा 41/411/413 भादवि थाना देवगांव जनपद आजमगढ।
2.मु0अ0सं0-265/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना देवगांव जनपद आजमगढ।
3. मु0अ0सं0-266/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना देवगांव जनपद आजमगढ।

बरामदगी

1. दो अदद अवैध तमंचा ,02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. दो अदद मोबाइल- सैमसंग व बीबो एनड्रइड।
3. दो अदद मोटरसाइकिल क्रमशः

सुपर स्पलेण्डर UP50AH9113 चेचिस नं0 MBLJA05EME9A12952 व इंजन न0 JA05ECE9A12902 बरंग काली

एक अदद मोटरसाइकिल सुपर स्पलेण्डर नं0 UP65CA0158 जिसका चेचिस न0 MBLJA05EWG9K09524 इंजन न0 JA05ECG9K42171 वरंग काली

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1-उ.नि. अनिल कुमार सिंह चौकी प्रभारी लालगंज मय हमराह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

2-उ.नि. त्रिभुवन सिंह चौकी प्रभारी पल्हना मय हमराह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।